प्रारंभिक परीक्षा

मध्य पूर्व में अमेरिका हार रहा है लेकिन इज़राइल जीत रहा है

संदर्भ

खाड़ी में जारी संघर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका को रणनीतिक रूप से कठिन स्थिति में डाल दिया है, जबकि इज़राइल विरोधियों को कमजोर करने और प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से एक आक्रामक क्षेत्रीय रणनीति का अनुसरण करना जारी रखे हुए है।

युद्ध में अमेरिका कैसे हार रहा है

- **रणनीतिक अतिविस्तार:** अमेरिका ने इजरायल के प्रभाव में आकर आंतरिक सावधानी को नजरअंदाज करते हुए एक स्वैच्छिक युद्ध में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी स्पष्ट निकास रणनीति (कोई वापसी मार्ग नहीं) के दीर्घकालिक उलझाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **मुख्य उद्देश्यों की विफलता:** ईरान की मिसाइल/ड्रोन क्षमताओं को नष्ट करने या सत्ता परिवर्तन कराने में असमर्थता, जिससे सैन्य दबाव की विश्वसनीयता कम हो गई।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभाव का नुकसान**: ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य (लगभग 20% वैश्विक तेल प्रवाह) पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की अमेरिकी क्षमता सीमित हो गई है।
- **अप्रभावी आर्थिक दबाव**: प्रतिबंध और नाकाबंदी की रणनीति ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने में विफल रही (ईरान आर्थिक राहत की तुलना में संप्रभुता को प्राथमिकता देता है)।
- **वैश्विक अलगाव के रुझान:** अमेरिका को यूरोप, चीन और वैश्विक दक्षिण से भिन्न-भिन्न रुख का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ईरान पर एकीकृत दबाव कमजोर हो रहा है।
- **घरेलू राजनीतिक लागत:** युद्ध से आंतरिक राजनीतिक प्रतिक्रिया (कांग्रेस का प्रतिरोध, चुनावी लागत, आर्थिक बोझ) उत्पन्न होने की संभावना है।

अमेरिका इज़राइल के इशारों पर काम कर रहा है

- **इज़राइली हितों के साथ नीतिगत तालमेल:** अमेरिका के फैसले (ईरान समझौते से पीछे हटना, सैन्य तनाव बढ़ाना) इज़राइली रणनीतिक प्राथमिकताओं (ईरान विरोधी रुख) के साथ तालमेल से प्रेरित हैं।
- **घरेलू राजनीति में प्रभाव:** इज़राइल समर्थक मजबूत पैरवी और चुनावी चंदा देने वाले नेटवर्क अमेरिका की द्विदलीय विदेश नीति की दिशा तय करते हैं।
- **राजनयिक वापसी पर प्रतिबंध:** इज़राइल युद्धविराम का विरोध करता है और निरंतर संघर्ष/शासन परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, जिससे अमेरिका की बातचीत करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **परोक्ष तनाव बढ़ाना:** इज़राइल संघर्ष को बढ़ा सकता है (लेबनान, ईरान) ताकि अमेरिका को युद्ध में और गहराई तक धकेल सके और पीछे हटने से रोक सके।
- **असहमति का दमन:** अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर आलोचनात्मक आवाज़ें हाशिए पर रहती हैं या मुख्यधारा की चर्चा से बाहर कर दी जाती हैं।

इज़राइल युद्ध कैसे जीत रहा है

- **क्षेत्रीय और रणनीतिक लाभ:** गाजा, दक्षिणी लेबनान (लिटानी नदी तक), सीरिया और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में नियंत्रण का विस्तार, रणनीतिक गहराई में वृद्धि।
- **विरोधियों का कमजोर होना:** हिज़्बुल्लाह की क्षमताओं में महत्वपूर्ण गिरावट (रॉकेट भंडार कम हो गया) और शत्रुतापूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश।
- **जनसंख्या विस्थापन रणनीति:** दीर्घकालिक सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए विनाश और विस्थापन का उपयोग (विद्रोही ठिकानों को नकारना)।

- **कम सापेक्ष लागत:** लंबे समय तक संघर्ष के बावजूद, इज़राइल को विरोधियों की तुलना में सीमित प्रत्यक्ष क्षति होती है।
- **बाहरी वित्तीय सहायता:** अमेरिकी वित्तीय और सैन्य सहायता (दसियों अरब डॉलर) पर भारी निर्भरता युद्ध के प्रयासों को बनाए रखती है।
- **नेतृत्व की राजनीतिक स्थिरता:** नेतृत्व के लिए निरंतर घरेलू समर्थन (बेंजामिन नेतन्याहू का लंबा कार्यकाल) कथित रणनीतिक सफलता को दर्शाता है।
- **संघर्ष परिणामों में विचलन को दर्शाता है:** अमेरिका को रणनीतिक थकान, सीमित लाभ और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ता है, जबकि इज़राइल अमेरिकी समर्थन के तहत सामरिक और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करता है। हालांकि, दीर्घकालिक स्थिरता अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि लंबे समय तक संघर्ष क्षेत्रीय वृद्धि और वैश्विक आर्थिक व्यवधान का जोखिम उठाता है।

मिथोस एआई मॉडल: सभी क्षेत्रों में सुरक्षा निहितार्थ

संदर्भ

प्रोजेक्ट ग्लास विंग के तहत विकसित उन्नत एआई मॉडल मिथोस के उद्भव ने महत्वपूर्ण प्रणालियों में कमजोरियों (जीरो-डे बग सहित) का स्वायत्त रूप से पता लगाने और उनका फायदा उठाने की इसकी क्षमता के कारण चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मिथोस के बारे में

- **परिभाषा**: मिथोस एक उन्नत एआई मॉडल है जिसे एंथ्रोपिक द्वारा विकसित किया गया है और इसमें साइबर सुरक्षा विश्लेषण, भेद्यता पहचान और एक्सप्लॉइट जनरेशन की क्षमताएं हैं।
- **मुख्य क्षमता:** यह भेद्यताओं की पहचान कर सकता है, एक्सप्लॉइट जनरेट कर सकता है और कई चरणों वाले साइबर ऑपरेशनों को स्वायत्त रूप से निष्पादित कर सकता है, जिससे संपूर्ण हमले का चक्र संक्षिप्त हो जाता है।
- **सीमित तैनाती:** इसके जोखिमों के कारण, इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत चुनिंदा रूप से साझा किया जाता है।

यह सुरक्षा समस्याएं कैसे पैदा करता है

- **वित्तीय प्रणाली भेद्यता:** बैंक आपस में जुड़ी विरासत और आधुनिक आईटी सिस्टम (साझा विक्रेताओं, सामान्य प्लेटफार्मों) पर काम करते हैं, जिससे एक एकल भेद्यता को सिस्टम-व्यापी विफलताओं (व्यापक वित्तीय व्यवधान) को ट्रिगर करने की अनुमति मिलती है।
- **जीरो-डे एक्सप्लॉइट का विस्तार:** मिथोस बड़े पैमाने पर अज्ञात कमजोरियों (जीरो-डे) का पता लगा सकता है, जिससे पैच मौजूद होने से पहले ही हमले संभव हो जाते हैं, और अप्रत्याशित साइबर खतरों में वृद्धि होती है।
- **हमलों के लिए कौशल बाधा को कम करना:** शोषण पीढ़ी को स्वचालित करके, मिथोस कम-कुशल कर्ताओं को भी परिष्कृत साइबर हमले शुरू करने की अनुमति देता है, जिससे खतरे के परिदृश्य का विस्तार होता है।
- **हमले के जीवनचक्र का संकुचन**: यह भेद्यता की खोज ⟶ शोषण निर्माण ⟶ हमले के निष्पादन के बीच के समय को कम करता है, जिससे रक्षा प्रतिक्रिया विंडो बेहद संकीर्ण हो जाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम:** राज्य और गैर-राज्य कर्ता साइबर युद्ध, जासूसी और तोड़फोड़ (सैन्य प्रणाली, निगरानी नेटवर्क) के लिए इस तरह के एआई का उपयोग कर सकते हैं।
- **साइबर सुरक्षा प्रतिमान में बदलाव:** चुनौती कमजोरियों को खोजने से लेकर बड़े पैमाने पर एआई-संचालित खतरों के प्रबंधन और बचाव तक बदल जाती है, जिसके लिए एआई-आधारित रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

भारत में बढ़ते श्रमिक विरोध

संदर्भ

नोएडा और मानेसर जैसे औद्योगिक केंद्रों में फैक्ट्री श्रमिकों ने स्थिर मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

फैक्टशीट

- **मुद्रास्फीति अंतर:** औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (CPI-IW) 2021 और 2026 के बीच 24.8% बढ़ी, जबकि हरियाणा जैसे राज्यों में इसी अवधि में मजदूरी वृद्धि औसतन केवल 15% रही।
- **न्यूनतम वेतन असमानता:** हाल के संशोधनों से पहले, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹11,274.60 था, जो ₹20,358 की केंद्रीय क्षेत्र दर से काफी कम था, जिससे व्यापक आक्रोश पैदा हुआ।
- **संशोधन में देरी:** उत्तर प्रदेश ने 2012 के बाद से अपने मूल न्यूनतम वेतन को संशोधित नहीं किया था, और हरियाणा ने पांच साल की कानूनी आवश्यकता के बावजूद 10 साल के लिए अपने संशोधन में देरी की थी।
- **रहने की लागत:** प्रवासी श्रमिकों ने युद्ध से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण काले बाजार में एलपीजी सिलेंडर के लिए ₹4,000 तक का भुगतान करने की सूचना दी।

बढ़ते श्रमिक विरोध के कारण

- **वेतन ठहराव बनाम मुद्रास्फीति:** निश्चित आधार न्यूनतम मजदूरी दैनिक खर्चों, विशेष रूप से भोजन, किराया और ईंधन में तेजी से वृद्धि के लिए समायोजित करने में विफल रही है।
- **विधायी भ्रम:** नवंबर 2025 में चार श्रम संहिताओं की अधिसूचना ने उच्च वेतन और बेहतर सामाजिक सुरक्षा की उम्मीदें पैदा कीं जो अभी तक जमीनी स्तर पर साकार नहीं हुई हैं।
- **लचीले काम के घंटे:** नए कोड चार दिन के कार्य सप्ताह को सुविधाजनक बनाने के लिए 12 घंटे तक के कार्यदिवस की अनुमति देते हैं, लेकिन श्रमिकों को डर है कि अतिरिक्त वेतन के बिना काम का बोझ बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
- **बाहरी संघर्षों का प्रभाव:** होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया युद्ध ने कारखानों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि की है, जिससे भुगतान में देरी और नौकरी की अनिश्चितताएं हुई हैं।

की गई पहल

- **अंतरिम वेतन वृद्धि:** उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल हिंसा को रोकने के लिए नोएडा के अकुशल वेतन को बढ़ाकर 13,690 रुपये करने की अंतरिम वृद्धि की घोषणा की।
- **हरियाणा अधिसूचना:** मानेसर में विरोध प्रदर्शनों के बाद, हरियाणा ने 35% की वृद्धि को अधिसूचित किया, जिससे न्यूनतम मजदूरी ₹15,220.71 हो गई।
- **केंद्रीय अधिसूचना (सितंबर 2024):** केंद्र सरकार ने एक बेंचमार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित कर ₹20,000 प्रति माह से अधिक कर दिया।
- **मसौदा नियम जारी करना:** केंद्र ने दिसंबर 2025 में नए श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम जारी किए ताकि स्प्रेड-ओवर घंटों और आराम के अंतराल को स्पष्ट किया जा सके।

चुनौतियां

आंतरिक

- **अधिसूचना अंतराल:** जबकि कोड को 2025 में अधिसूचित किया गया था, अधिकांश राज्यों में अंतिम नियम लंबित हैं, जिससे कानून निर्माण को अप्रत्याशित नुकसान हुआ है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** राज्य-स्तरीय वेतन अधिसूचनाओं में अंतर नीचे की ओर एक दौड़ पैदा करता है जहां उद्योग कम श्रम लागत वाले राज्यों में स्थानांतरित हो सकते हैं।
- **ट्रेड यूनियनों का क्षरण:** नए कोड ट्रेड यूनियनों की मान्यता को राज्य के विवेक पर छोड़ देते हैं, जिससे श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी शक्ति कमजोर हो जाती है।
- **जागरूकता की कमी:** एक समान ₹20,000 वेतन के बारे में सोशल मीडिया पर गलत सूचना ने अवास्तविक उम्मीदें और घर्षण पैदा कर दिया है।

बाह्य

- **ऊर्जा संकट:** वैश्विक आपूर्ति के झटके के कारण एलपीजी और खाना पकाने के ईंधन की उच्च कीमतों ने प्रवासी श्रमिकों की डिस्पोजेबल आय को असमान रूप से प्रभावित किया।
- **वैश्विक व्यापार बाधाएं:** अमेरिकी टैरिफ और शिपिंग व्यवधानों ने कारखाने के मार्जिन को निचोड़ दिया है, जिससे नियोक्ता वेतन वृद्धि को पारित करने के लिए अनिच्छुक हो गए हैं।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य बंद:** इस विशिष्ट भू-राजनीतिक घटना ने कच्चे माल के प्रवाह को पंगु बना दिया है, जिससे औद्योगिक इकाइयाँ गहन इनपुट लागत दबाव में फंस गई हैं।

आगे की राह

- **आधार संशोधनों को मानकीकृत करना:** सुनिश्चित करना कि दशक भर के ठहराव को रोकने के लिए सभी राज्यों में आधार न्यूनतम वेतन का पांच साल का संशोधन अनिवार्य और स्वचालित है।
- **श्रम संहिता नियमों को स्पष्ट करना:** केंद्र और राज्यों को 12 घंटे की शिफ्ट और ओवरटाइम के बारे में भ्रम को खत्म करने के लिए 2025 श्रम संहिताओं के लिए अंतिम नियमों को तत्काल अधिसूचित करना चाहिए।
- **बातचीत को संस्थागत बनाना:** ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने की प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निपटारा सड़कों के बजाय बातचीत की मेज पर किया जाए।
- **CPI-IW सुधार:** औद्योगिक श्रमिकों द्वारा महसूस की गई वास्तविक समय की मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित करने के लिए मजदूरी के परिवर्तनशील घटक को अधिक बार अद्यतन करना।

CAFE-III मानदंड

संदर्भ

भारतीय सरकार और ऑटोमोबाइल उद्योग आगामी CAFE-III (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता चरण III) पर व्यापक सहमति पर पहुंच गए हैं।

CAFE-III मानदंड क्या हैं?

- **CAFE (कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता) मानदंड सरकार द्वारा अनिवार्य मानक हैं जो व्यक्तिगत मॉडल के बजाय एक ऑटोमेकर के पूरे बेड़े के भारित औसत ईंधन खपत और CO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं।**
- **द्वारा स्थापित:** विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)।
- **प्रयोग:** ये मानदंड एम 1 श्रेणी के यात्री वाहनों (जिन्हें नौ व्यक्तियों तक बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिनका वजन 3,500 किलोग्राम से कम है) पर लागू होते हैं।
- **टाइमलाइन:** तीसरा चरण (CAFE-III) 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने वाला है और 31 मार्च, 2032 तक चलेगा।

भारत में कार्यान्वयन

- 2017 (CAFE-1) में पेश किया गया।
- CAFE-2 (2022 के बाद) के तहत मजबूत किया गया।
- अगला चरण, CAFE-3, अप्रैल 2027 से लागू होने की उम्मीद है।
- ये मानदंड भारत की व्यापक जलवायु प्रतिबद्धताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है।

CAFE-III का उद्देश्य

- कच्चे तेल के आयात पर भारत की भारी निर्भरता को कम करने के लिए, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संकट जैसी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौरान महत्वपूर्ण।
- भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा-कुशल और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उत्पादन के लिए निर्माताओं को प्रेरित करना।

- हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और फ्लेक्स-ईंधन प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए मजबूर करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **सख्त लक्ष्य:** वाहन निर्माताओं को अपने औसत फ्लीट CO_2 उत्सर्जन को लगभग 113 ग्राम/किमी (FY27 में CAFE-II के अंत में) से घटाकर FY32 तक 78.9 ग्राम/किमी करना होगा।
- **छोटी कारों को हटाना:** 909 किलोग्राम से कम की पेट्रोल कारों को 3 ग्राम प्रति किलोमीटर की राहत देने के पहले के प्रस्ताव को एक निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए चापलूसी वक्र के पक्ष में रद्द कर दिया गया है।
- **सुपर क्रेडिट योजना:** हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्माता बेचे गए प्रत्येक स्वच्छ वाहन के लिए गुणक अर्जित करते हैं:
    - **बैटरी ईवी (बीईवी):** 3.0 गुणक (प्रत्येक बिक्री बेड़े के औसत के लिए 3 के रूप में गिना जाता है)।
    - **प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV):** 2.5 गुणक।
    - **मजबूत हाइब्रिड:** 1.6 गुणक।
- **दक्षता तकनीक के लिए प्रोत्साहन:** उत्सर्जन स्कोर पर छूट 12 निर्दिष्ट ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों, जैसे स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, 6-स्पीड ट्रांसमिशन और उच्च दक्षता वाले एसी का उपयोग करके अर्जित की जा सकती है।
- **अनुपालन लचीलापन:** निर्माताओं के बीच क्रेडिट ट्रेडिंग की अनुमति देता है, अतिरिक्त अनुपालन को आगे बढ़ाता है, और व्यावहारिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए कम दंड देता है।

धारा 301 जांच: भारत ने व्यापार और जबरन श्रम पर धारा 301 के आरोपों का जवाब कैसे दिया

संदर्भ

- भारत ने अमेरिका द्वारा "संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता" और "जबरन श्रम" के मुद्दों पर शुरू की गई धारा 301 के तहत दो जांचों का जवाब देते हुए अपनी व्यापारिक नीतियों और कानूनी ढांचे का बचाव किया है।
- यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि ट्रंप द्वारा पहले अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए टैरिफ को जुलाई तक 50% पारस्परिक टैरिफ स्तर पर बहाल किया जा सकता है।

धारा 301 के बारे में

- **1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 एक शक्तिशाली एकतरफा व्यापार साधन है जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को "अनुचित, अनुचित या भेदभावपूर्ण" समझी जाने वाली विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच करने और प्रतिशोधी टैरिफ या व्यापार प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।**
- यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से वाशिंगटन बौद्धिक संपदा और श्रम प्रथाओं और औद्योगिक नीति के लिए बाजार पहुंच से लेकर मुद्दों पर व्यापारिक भागीदारों पर दबाव डालता है।
- **मार्च 2026 में, यूएसटीआर ने** भारत और कई अन्य देशों के खिलाफ कई धारा 301 जांच शुरू की, जिसमें विनिर्माण में "संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता" और आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को रोकने में कथित विफलताओं को लक्षित किया गया।

अतिरिक्त क्षमता पर भारत की प्रतिक्रिया

- भारत का केंद्रीय तर्क यह है कि द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष अनुचित व्यापार व्यवहार का प्रमाण नहीं है, बल्कि व्यापक व्यापक आर्थिक स्थितियों में निहित वैश्विक व्यापार का एक स्वाभाविक परिणाम है।
- व्यापार असंतुलन अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों में प्रकट होता है।
- उन्हें "अमेरिकी वाणिज्य को नुकसान पहुंचाने वाली अनूठी स्थिति" के रूप में व्यवहार करना तुलनात्मक लाभ के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से चुनौती देता है जो संपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रणाली को रेखांकित करते हैं।

आरक्षित मुद्रा कारक

- भारत ने वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार के 56% हिस्से के रूप में अमेरिकी डॉलर की विश्व की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा होने की स्थिति का हवाला देते हुए एक परिष्कृत व्यापक आर्थिक तर्क प्रस्तुत किया।

- क्योंकि डॉलर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए प्रमुख माध्यम है, अमेरिका अधिक आसानी से उधार ले सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति की संरचनात्मक विशेषता के रूप में लगातार व्यापार घाटे को बनाए रख सकता है।
- क्योंकि अमेरिका इतनी आसानी से उधार ले सकता है और इतनी स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकता है, अमेरिकी उपभोक्ता और व्यवसाय भारत, चीन आदि जैसे देशों से बहुत सारे आयातित सामान सहित बहुत कुछ खरीदते हैं।
- अमेरिकी उत्पादन से अधिक उपभोग करते हैं। इसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि अमेरिका निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है, जो कि व्यापार घाटा है।
- भारत ने तर्क दिया कि यह द्विपक्षीय अधिशेष को भारतीय नीति विकल्पों के बजाय प्रणालीगत वैश्विक परिस्थितियों का उत्पाद बनाता है।
- भारत जैसे देश डॉलर को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखते हैं या उनका उपयोग अपने स्वयं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए करते हैं।
- तो, डॉलर अमेरिका से दुनिया में बहता है, और दुनिया से माल अमेरिका में प्रवाहित होता है।

भारत की निर्यात प्रोफ़ाइल अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का संकेत नहीं देती है।

- भारत ने प्रस्तुत किया कि लगभग 12 प्रतिशत का उसका व्यापारिक निर्यात-जीडीपी अनुपात स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारतीय उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने की दिशा में उन्मुख है, न कि वैश्विक बाजारों में बाढ़ लाने की।
- इसके अलावा, भारत का माल निर्यात कुल अमेरिकी आयात का केवल 3.1% है, जिससे यह तर्क देना मुश्किल हो जाता है कि भारत अमेरिकी व्यापार घाटे में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।
- भारत ने तर्क दिया कि यूएसटीआर उन विशिष्ट क्षेत्रों पर चुनिंदा ध्यान केंद्रित करता है जहां भारत का वैश्विक व्यापार अधिशेष है, उन क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता स्वचालित रूप से स्थापित नहीं करता है।
- भारत ने बढ़ते अमेरिकी व्यापार घाटे के पीछे गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को एक अधिक प्रशंसनीय कारक के रूप में भी इंगित किया, इसका नाम लिए बिना चीन का उल्लेख किया।

जबरन श्रम पर भारत की प्रतिक्रिया

- दूसरी जांच पर, भारत ने जोर देकर कहा कि उसका कानूनी ढांचा पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप है।
- भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तहत जबरन श्रम सम्मेलन, 1930 और जबरन श्रम उन्मूलन, 1957 दोनों की पुष्टि की है, जो सभी रूपों में जबरन श्रम के निषेध को अनिवार्य करता है।
- यह भारत के श्रम कानूनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन करने वाले और जांच को एक विश्वसनीय कानूनी आधार के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य परीक्षा

भारत की कानूनी व्यवस्था की सुस्ती

संदर्भ

भारत की न्यायिक व्यवस्था एक गहरे संकट का सामना कर रही है, जहाँ देरी एक आम बात हो गई है, जिससे आम नागरिकों के लिए न्याय एक लंबा संघर्ष बन गया है।

न्यायिक देरी के कारण

- **बड़े पैमाने पर मामलों का बैकलॉग:** पांच करोड़ से अधिक मामलों के साथ लंबित मामलों का पैमाना, मांग के साथ तालमेल रखने के लिए संघर्ष कर रही प्रणाली को दर्शाता है।
    - **उदाहरण:** कुल लंबित मामलों में से, ~4.5 करोड़ मामले अधीनस्थ अदालतों में हैं, जो दिखाते हैं कि निचली न्यायपालिका (NJDG डेटा) को खामियाजा भुगतना पड़ता है।कुछ दीवानी विवाद, विशेष रूप से भूमि के मामले, 20-30 वर्षों तक चलते हैं।
- **भावनात्मक और वित्तीय तनाव:** मुकदमेबाजी एक लंबे समय तक चलने वाला बोझ बन जाती है जिसके बंद होने की कोई निश्चितता नहीं होती है।
    - **उदाहरण:** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वादी अक्सर अपनी वार्षिक आय का कई गुना लंबे समय तक मुकदमेबाजी पर खर्च करते हैं। उदाहरण: उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संपत्ति विवाद अक्सर पीढ़ियों से गुजरते हैं।
- **प्रक्रियात्मक सजा:** बार-बार स्थगन और देरी प्रक्रिया को दंडात्मक बना देती है।
    - **उदाहरण:** सुप्रीम कोर्ट ने हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य में खुलासा किया कि कैसे बार-बार स्थगन ने विचाराधीन कैदियों को बिना किसी मुकदमे के वर्षों तक जेल में डाल दिया, जिससे उन्हें दोषसिद्धि से पहले प्रभावी रूप से दंडित किया गया।
- **न्याय खोने का मूल्य:** विलंबित परिणाम खोए हुए अवसरों या गरिमा को बहाल करने में विफल रहते हैं।
    - **उदाहरण:** सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, न्यायालय ने स्वीकार किया कि विलंबित न्याय उसके उद्देश्य को विफल कर देता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों में जहां खोए हुए व्यावसायिक अवसरों को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

प्रणाली में संरचनात्मक दोष

- **पुरानी प्रक्रियाएं:** औपनिवेशिक युग की कठोरता और अत्यधिक कागजी कार्रवाई धीमी दक्षता।
    - **उदाहरण:** मलिमथ समिति (2003) ने देखा कि प्रक्रियात्मक कानून अभी भी औपनिवेशिक-युग की प्रतिकूल संरचनाओं को दर्शाते हैं, जो अक्षमता और बैकलॉग में योगदान करते हैं।
- **विचाराधीन संकट:** UAPA जैसे कड़े कानूनों के परिणामस्वरूप समय पर सुनवाई के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है।
    - **उदाहरण:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (जेल सांख्यिकी 2022) के अनुसार, 75% से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी हैं। यूएपीए जैसे कानूनों के तहत मामलों में अक्सर बिना किसी दोषसिद्धि के वर्षों तक हिरासत में रखा जाता है (उदा: भीमा कोरेगांव आरोपी)
- **पहुंच में असमानता**: उच्च लागत कई लोगों के लिए न्याय को दुर्गम बना देती है।
    - **उदाहरण:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त कानूनी सहायता से अनजान रहता है; इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस प्रति सुनवाई लाखों में हो सकती है।
- **केंद्रीकृत बोझ:** उच्च न्यायालयों से दूरी वित्तीय और तार्किक तनाव को जोड़ती है।

- **उदाहरण:** दूरदराज के राज्यों के वादियों को दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा करनी चाहिए, जिससे यात्रा और आवास की लागत अधिक होती है। क्षेत्रीय पीठों की मांगों में इस बोझ को स्वीकार किया गया था।

- **विविधता की कमी:** सीमित प्रतिनिधित्व समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने को प्रभावित करता है।
    - उदाहरण: 2024 तक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाएं 15% से कम हैं, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व सीमित है (कानून और न्याय मंत्रालय के आंकड़े)।

जुड़ी चुनौतियाँ

- **जनता के विश्वास में गिरावट:** देरी न्यायपालिका और कानून के शासन में विश्वास को कम करती है।
    - **उदाहरण:** वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत को नागरिक न्याय की समयबद्धता में अपेक्षाकृत कम स्थान देता है, जो जनता के घटते विश्वास को दर्शाता है।
- **उल्लंघनों को प्रोत्साहन**: धीमा न्याय अपराधियों को प्रोत्साहित करता है और अनुपालन को हतोत्साहित करता है।
    - **उदाहरण:** आपराधिक मुकदमों में देरी अक्सर आरोपी व्यक्तियों को लंबे समय तक मुक्त रहने की अनुमति देती है, जिससे निवारण कमजोर हो जाता है। आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामले अक्सर दशकों तक चलते रहते हैं।
- **अधिकारों का उल्लंघन:** लंबे समय तक परीक्षण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को कमजोर करते हैं।
    - **उदाहरण:** मेनका गांधी बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया, लेकिन लंबे समय तक सुनवाई "त्वरित सुनवाई के अधिकार" का उल्लंघन करना जारी रखती है, जिसकी कई फैसलों में पुष्टि की गई है।
- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** कमजोर न्यायिक कामकाज नियंत्रण और संतुलन को प्रभावित करता है।
    - **उदाहरण:** न्यायिक देरी कार्यकारी कार्यों पर निगरानी को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, चुनाव से संबंधित याचिकाएं अक्सर चुनावी चक्र समाप्त होने तक अनसुलझी रहती हैं, जिससे जवाबदेही कमजोर हो जाती है।

आगे की राह

- **समयबद्ध न्याय**: मुकदमे और जमानत के फैसलों के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करना।
    - **उदाहरण:** हुसैन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित न्याय को बनाए रखने के लिए आपराधिक मुकदमों में निश्चित समयसीमा की आवश्यकता पर बल दिया।
- **तकनीक-संचालित दक्षता:** बेहतर केस प्रबंधन के लिए एआई और डेटा सिस्टम का उपयोग करना।
    - **उदाहरण:** कानून और न्याय मंत्रालय के तहत ई-कोर्ट परियोजना (चरण III) का उद्देश्य बैकलॉग को कम करने के लिए एआई, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड को एकीकृत करना है।
- **समावेशी न्यायपालिका**: सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विविधता में सुधार करना।
    - **उदाहरण:** सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा विविधता के लिए जोर पर प्रकाश डाला गया है, हालांकि प्रगति धीरे-धीरे बनी हुई है।
- **विकेंद्रीकृत पहुंच**: क्षेत्रीय पीठों और वर्चुअल सुनवाई का विस्तार करना।
    - **उदाहरण**: COVID-19 के दौरान वर्चुअल सुनवाई ने अदालतों को दूर से काम करने की अनुमति दी, यह प्रदर्शित करते हुए कि प्रौद्योगिकी भौगोलिक बाधाओं को कैसे कम कर सकती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** कार्यवाही और नियुक्तियों में खुलेपन को बढ़ावा देना।
    - **उदाहरण:** संवैधानिक पीठ की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग 2022 में शुरू हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों में खुलेपन में सुधार हुआ।
- **कानूनी संस्कृति में बदलाव**: समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ें।
    - **उदाहरण:** भारत के विधि आयोग जैसी रिपोर्टों ने अदालत के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे एडीआर तंत्र की सिफारिश की है।

निष्कर्ष

हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य में दोहराया गया वाक्यांश "न्याय में देरी न्याय से वंचित है," यह दर्शाता है कि कैसे देरी गरिमा और निष्पक्षता को नष्ट करती है। डिजिटलीकरण, एडीआर और संस्थागत पुनर्गठन जैसे सुधारों के साथ-साथ, भारत कानून के शासन में विश्वास बहाल करते हुए नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली की ओर बढ़ सकता है।

प्रवासन शासन में कमियां

संदर्भ

पश्चिम एशिया में हाल ही में चलाए गए निकासी अभियान भारत की कुशल संकट प्रबंधन क्षमताओं को रेखांकित करते हैं, साथ ही इसकी दीर्घकालिक प्रवासन शासन संरचना में कमजोरियों को भी उजागर करते हैं।

मुख्य बिंदु

- भारत ने मजबूत राजनयिक समन्वय और लॉजिस्टिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 2026 में पश्चिम एशिया से 4.75 लाख से अधिक नागरिकों को निकालने की सुविधा प्रदान की।
- अनुमानित 99 लाख भारतीय वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों (2025) में रहते हैं।
- खाड़ी क्षेत्र में भारत के कुल प्रेषण प्रवाह (2023-24) का लगभग 38% हिस्सा है।
- कुल मिलाकर, भारत में प्रवासन शासन असंबद्ध, प्रतिक्रियाशील और मजबूत डेटा सिस्टम का अभाव बना हुआ है।

भारत में प्रवासन शासन

- **प्रवासन का पैमाना**: भारत में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दोनों महत्वपूर्ण हैं, जो रोजगार के अवसरों, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसे कारकों से प्रेरित हैं।
- **आर्थिक महत्व:** भारत विश्व स्तर पर प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है (लगभग 125 बिलियन डॉलर, विश्व बैंक 2023), जो आर्थिक लचीलेपन में प्रवासन के योगदान को उजागर करता है।
- **श्रम बाजार की भूमिका:** प्रवासी श्रमिक निर्माण, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से शहरी केंद्रों और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में।
- **विकास संबंध:** प्रवासन गरीबी उन्मूलन, कौशल वृद्धि और क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है, साथ ही साथ संरचनात्मक कमजोरियों को प्रकट करता है।

संकट-उन्मुख दृष्टिकोण

- **निकासी पर ध्यान देना:** COVID-19 (वंदे भारत मिशन) या क्षेत्रीय संघर्षों जैसी आपात स्थितियों के दौरान सरकारी कार्रवाई तेज हो जाती है।
- **अपूर्ण पॉलिसी कवरेज:** पूर्ण प्रवासन चक्र पर सीमित ध्यान दिया जाता है, जिसमें पूर्व-प्रस्थान तैयारी, विदेश में कार्यस्थल की स्थिति और वापसी पर पुन: एकीकरण शामिल है।
- **दृश्यता बनाम संरचना:** जबकि संकट प्रतिक्रियाएं जनता का विश्वास पैदा करती हैं, वे अक्सर गहरी संस्थागत कमियों को छिपाती हैं।
- **निवारक अंतराल**: प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की कमी और प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्थित ट्रैकिंग के परिणामस्वरूप नीतिगत प्रतिक्रियाओं में देरी होती है।

खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता

- **महत्वपूर्ण प्रवासी उपस्थिति**: GCC देश लगभग 99 लाख भारतीय प्रवासियों की मेजबानी करते हैं, जो एक प्रमुख प्रवासन गलियारा बनाते हैं।
- **प्रेषण निर्भरता**: भारत का लगभग 38% प्रेषण खाड़ी से उत्पन्न होता है, जो घरेलू आय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **रोजगार पैटर्न:** इस क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा निर्माण, घरेलू सेवाओं और अन्य कम-कुशल क्षेत्रों में कार्यरत है, जो अक्सर कमजोर परिस्थितियों में होते हैं।

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** पश्चिम एशिया में किसी भी अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार परिदृश्य और कल्याण संबंधी चिंताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

खंडित संस्थागत संरचना

- **एजेंसियों की बहुलता:**
  - विदेश मंत्रालय उत्प्रवास और राजनयिक समन्वय संभालता है
  - श्रम मंत्रालय श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
  - राज्य सरकारें कौशल पहल और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रबंधन करती हैं
- **समन्वय की कमी:** प्रवासन स्थानीय (जिले) से वैश्विक स्तर तक फैला हुआ है, फिर भी शासन विभाजित रहता है।
- **नीति विखंडन:** प्रस्थान से वापसी तक पूरे प्रवासन चक्र की देखरेख करने वाला कोई एकल नोडल निकाय नहीं है।
- **असमान कार्यान्वयन:** राज्य की क्षमता में अंतर के परिणामस्वरूप प्रवासियों के लिए असंगत समर्थन प्रणाली होती है।

डेटा अंतराल और सीमित दृश्यता

- **वास्तविक समय डेटा का अभाव:** भारत में विस्तृत, अप-टू-डेट प्रवासन डेटाबेस का अभाव है, विशेष रूप से आंतरिक प्रवासियों के लिए।
- **पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट:** अपर्याप्त डेटा दूरंदेशी शासन और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी लक्ष्यीकरण में बाधा डालता है।
- **COVID-19 से सबक**: प्रवासी संकट ने पोर्टेबल अधिकारों और व्यापक श्रमिक रजिस्ट्रियों की कमी को उजागर किया।
- **केरल एक मॉडल के रूप में**: केरल के प्रवासन सर्वेक्षण और कल्याण तंत्र डेटा-संचालित दृष्टिकोण के लाभों को दर्शाते हैं।

संरचनात्मक कमजोरियां

- **असुरक्षित रोजगार की स्थिति**: प्रवासी अक्सर अनौपचारिक समझौतों, अस्थिर मजदूरी और घटिया शर्तों के तहत काम करते हैं।
- **जीवन यापन की लागत का दबाव**: बढ़ती मुद्रास्फीति, ईंधन की लागत और रहने के खर्च वास्तविक कमाई और बचत क्षमता को कम करते हैं।
- **शोषणकारी भर्ती प्रथाएं:** बिचौलियों के कमजोर विनियमन के परिणामस्वरूप अक्सर ऋण बंधन और श्रमिक शोषण होता है।
- **पुनर्एकीकरण चुनौतियाँ:** लौटने वाले प्रवासियों को नौकरी खोजने, कौशल का उपयोग करने और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नीतिगत पहल और उभरते अवसर

- **प्रवासी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक**: प्रवासी संरक्षण और समर्थन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना चाहता है।
- **द्विपक्षीय श्रम साझेदारी**: भारत श्रम अधिकारों और श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों के साथ सहयोग का विस्तार कर रहा है।
- **डिजिटल शासन उपकरण**: ई-माइग्रेट जैसे प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शिता और निगरानी बढ़ा सकते हैं, हालांकि व्यापक कवरेज की आवश्यकता है।
- **कौशल संरेखण:** कौशल कार्यक्रमों को वैश्विक श्रम बाजार की मांगों के साथ जोड़ने से सुरक्षित और अधिक कुशल प्रवासन मार्गों को बढ़ावा मिल सकता है।

एक जीवनचक्र प्रक्रिया के रूप में प्रवासन

- **जीवनचक्र परिप्रेक्ष्य:** शासन को प्रवासन के सभी चरणों को कवर करना चाहिए:
  - **रोजगार ⟶ कल्याण ⟶ पूर्व-प्रस्थान ⟶ वापसी ⟶ पुनर्एकीकरण**
- **समग्र नीति दृष्टिकोण**: आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को एक ही प्रणाली के परस्पर जुड़े घटकों के रूप में माना जाना चाहिए।

- **सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना**: वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी पहल लाभों की पोर्टेबिलिटी में सुधार करती है।
- **समावेशी शासन दृष्टि:** प्रवासियों को अस्थायी श्रम के बजाय प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ताओं के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

आगे की राह

- **एक एकीकृत प्रवासन प्राधिकरण की स्थापना:** प्रवासन चक्र में व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत निकाय बनाएं।
- **एक राष्ट्रीय प्रवासन डेटाबेस बनाना**: साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए वास्तविक समय, स्थानीयकृत डेटा सिस्टम विकसित करना।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना**: पोर्टेबल कल्याण योजनाओं, बीमा और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **भर्ती विनियमन को कड़ा करना:** भर्ती एजेंसियों की मजबूत निगरानी और जवाबदेही के माध्यम से शोषण पर अंकुश लगाना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना**: मजबूत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से श्रम सुरक्षा को मजबूत करना।